# HEAD OFFICE
## CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
PARYAWAS BHAWAN, SECTOR- 19
NAVA RAIPUR ATAL NAGAR, RAIPUR (C.G.)
Email - hocecb@gmail.com


No. 6976 /Tech./CECB/2019 Raipur, Date 14/ 11 /2019

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Corpernicus Marg,
**New Delhi – 110 001**

Sub, :- Submission of factual and action taken report in the matter of OA No. 772/2019 Madan sen Vs. State of Chhattisgarh order dated 18/09/2019 (illegal construction of slaughter house in residential area in Radhika Nagar, Dist. – Durg) regarding.

Ref. :- Order dated 18/09/2019 in the matter of OA No. 772/2019 Madan sen Vs. State of Chhattisgarh.

---::00::---

With reference to the National Green Tribunal, Principal Bench order in the matter of OA No. 772/2019, Madan Sen Vs. State of Chhattisgarh, regarding illegal construction of slaughter house in residential area in Radhika Nagar, Dist. – Durg the factual and action taken report received from the Regional Officer, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Durg – Bhilai is enclosed with this letter for information please. The Permission to establishment for Modernization cum capacity enhancement of existing slaughter house from slaughtering animals 3,000 Nos./Month to 15,000 Nos./month (Buffalo/Goat/Sheep) within the existing premises at Khasra No. 114, 115 and 137, Radhika Nagar, Ward No. – 03, Nagar Palika Nigam Bhilai, Dist-Durg (C.G.) has been granted by Chhattisgarh Environment Conservation Board on 15/07/2015. The slaughter house with slaughtering capacity- 15,000 Nos./Month is under construction.

**Encl. :- As above.**

**Member Secretary**
Chhattisgarh Environment Conservation Board
Nava Raipur Atal Nagar, Raipur (C.G.)

क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल
5/32 बंगला भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)
ro_bhilai@rediffmail.com 0788 - 2242964

क्रमांक 2915 /क्षे.कार्या/छगपसंमं/भिलाई/2019 दिनांक 11/11/2019
प्रति,

सदस्य सचिव,
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
अटल नगर, नया रायपुर (छ.ग.)।

विषय :– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ.ए. कमांक–772/2019, मदन सेन विरूद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ के संबंध में।

सदर्भ :–
1. माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ.ए. कमांक--772/2019, मदन सेन विरूद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ में पारित आदेश दिनांक 18.09.2019
2. मण्डल मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र कमांक 5345 दिनांक 23.09.2019
3. मण्डल मुख्यालय, नया रायपुर का पत्र कमांक 6162 दिनांक 14.10.2019

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ.ए.कमांक--772/2019, मदन सेन विरूद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ में पारित आदेश दिनांक 18.09.2019 के संबंध में कार्यालय टीम द्वारा दिनांक 22.10.2019 को स्लाटर हाउस का निरीक्षण किया गया।

लेख है कि राधिका नगर, वार्ड कमांक–03 में स्लाटर हाउस स्लाटरिंग क्षमता–3000 नंबर्स/माह संचालित एवं स्लाटर हाउस स्लाटरिंग क्षमता–15000 नंबर्स/माह निर्माणाधीन है। स्लाटर हाउस स्लाटरिंग क्षमता--3000 नंबर्स/माह को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 03.01.2013 के माध्यम से सम्मति प्रदान की गई थी। तदोपरांत स्लाटर हाउस द्वारा सम्मति नवीनीकरण नही करवाया गया। साथ ही स्लाटर हाउस के निरीक्षण दिनांक 22.10.2019 के दौरान पाया गया कि स्लाटर हाउस स्लाटरिंग क्षमता–3000 नंबर्स/माह से निकलने वाले दूषित जल के समुचित उपचार हेतु व्यवस्था स्थापित नही है। तदोपरांत कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 25.10.2019 के माध्यम से स्लाटर हाउस स्लाटरिंग क्षमता–3000 नंबर्स/माह को उपरोक्तानुसार जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया।



Scanned by CamScanner

स्लाटर हाउस स्लाटरिंग क्षमता–3000 नंबर्स/माह द्वारा उक्त के संबंध में निर्धारित समयावधि में सम्मति नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया गया, न ही पूर्व में जारी नोटिस के संदर्भ में कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। दिनांक 11.11.2019 को पुनः कार्यालय टीम द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दूषित जल उपचार/अपवहन हेतु समुचित व्यवस्था स्थापित नही पाई गई। तदानुसार कार्यालय द्वारा स्लाटर हाउस स्लाटरिंग क्षमता–3000 नंबर्स/माह में उत्पादन बन्द करने हेतु पत्र दिनांक 11.11.2019 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क' के अंतर्गत निर्देश जारी किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार संदर्भित पत्रों के अनुकम में एक्शन टेकेन रिपोर्ट माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल को प्रेषित किये जाने हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

Scanned by CamScanner